कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/ एफ–1/12102/सी. भ./शा.शि.III/2013 दिनांक 01.06.2018 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 09.04.16 एवं 03.06.16 की पालाना में **शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III** भर्ती परीक्षा 2013 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थी को जिला आवंटित पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियत 2008 के अनुसार **पीबी–2 (9300–34800) ग्रेड पे 3600/–** के पद पर चयनोपरान्त संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर **दो वर्ष के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी)** के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणावधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2016 एवं एफ 12(6) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियमानुसार सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगें। जो अभ्यर्थी पूर्व में ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है, उन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कार्यग्रहण से पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

5. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उनकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

6. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशिक्षक योग्यता धारित करते है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को सुचित करें।

7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणिकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

9. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

10. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी

Scanned by CamScanner

किया हुआ है तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

12. संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगें।

क्र सं	वरि. क्र.	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2048 A	BC, WE	राजश्री	मगाराम चौधरी	ग्रा.पो. चरकड़ा तह. नोखा जिला बीकानेर	10-05-77	OBCF	राआउमावि भलूरी, कोलायत बीकानेर

इन्हें उक्त नियुक्ति दिए गए पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 30.06.2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सूचनाएं सही नही पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संस्था प्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए शाला दर्पण पर अपडेट करेंगें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

क्रमांक जिशिअ/माध्य/बीका/संस्था–2/शाशिप्रअ ग्रेड–III/आरपीएससी–2013/2016–17/5947-56 दिनांक 18.06.2018

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
8. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित अभ्यर्थी।
9. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

Scanned by CamScanner